LOK SABHA

*Wednesday, February 25, 1981/Phalguna 6, 1902 (Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Implementation of Labour Laws in the cases of Agricultural Labourers**

+

*121. SHRI JAGPAL SINGH:

SHRI B. D. SINGH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment with regard to the occupational hazards of the agricultural labourers and non-implementation of the labour laws in the matter of payment of minimum wages and workmen's compensation to them; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b). The Workmen's Compensation Act, 1923 already covers workers employed in farming by tractors or other contrivances driven by steam, etc. A number of other employments in agriculture such as clearing of jungles or reclaiming of land, construction, working or repair of maintenance of pumping equipment, etc., were identified in the past as involving occupational hazards and recommended to State Governments for being brought within the purview of the Act. 13 States and Union Territories have already done so and 4 have issued the preliminary notifications.

The question of fixation and revision of minimum wages under the Minimum Wages Act and their implementation have been under constant review at meetings with Labour Secretaries and Ministers. It is also proposed to undertake an evaluation study of the working of the Act.

**श्री जगपाल सिंह** : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का असेसमेंट किया गया है कि कृषि मजदूर जो करोड़ों की संख्या में हैं या बांडेड लेबर हैं उन के हाथ-पैर जो मशीनों में कट जाते हैं, उस के लिए कम्पेन्सेशन ऐक्ट या मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की व्यवस्था की गई ? यदि की गई है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों पर इन कानूनों के अधीन कार्यवाही की गई है ?

**योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : श्रीमान्, जैसा अभी विद्वान सदस्य को हमारी ओर से दिए गए उत्तर में बताया गया है, इस सम्बन्ध में मूल्यांकन किया जा रहा है। वास्तव में यह एक चिन्तनीय विषय है। इसके सम्बन्ध में अभी कोई अखिल भारतीय आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं उस मूल्यांकन जिसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, के परिणामस्वरूप इसके आंकड़े हमें संभवत: मिल जायेंगे। जैसा कि आप और विद्वान सदस्य जानते हैं कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों पर है इसलिए हमारे पास सही आंकड़े सदैव उपलब्ध नहीं हो पाते ।

**जगपाल सिंह** : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कि जिस प्रकार से आपने औद्योगिक श्रमिकों के लिए लेबर कोर्टस् की व्यवस्था की है क्या उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और ब्लाक स्तर पर भूमिहीन मजदूरों के लिए भी लेबर कोर्टस् की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : जी हां, इस सम्बन्ध में अभी तक जो कुछ एक्ट लागू हैं जैसे वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, उस में संशोधन के लिए प्रस्ताव सामने आने वाले हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से राय ले ली गई है और मुझे आशा है निकट भविष्य में यदि सम्भव हो सका और सदन की आज्ञा हुई तो इसी अधिवेशन में अन्यथा अन्य अधिवेशनों में जब भी कार्य-परामर्शदात्री समिति इसके लिए समय निकालेगी, सम्बन्धित संशोधन अधिनियम इस सदन के समक्ष लाने का प्रस्ताव किया जा सकेगा ।

**श्री बी० डी० सिंह** : अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए, उन को उचित मजदूरी मिल सके इस के लिए एक मिनिमम वेजेज ऐक्ट 1948 में पास हुआ था और उस के बाद डेट रिलीफ ऐक्ट पास हुआ । यह जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसा महसूस होता है कि श्रमिकों के मजबूत संगठन के अभाव में, जो भी सुविधायें हम उन को देना चाहते हैं वह उन को मिल नहीं पाती हैं । स्टैंडिंग कमेटी आन एग्रीकल्चर लेबर ने पिछली 9 जुलाई को एग्रीकल्चर लेबर के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों के भी ट्रेड यूनियन टाइप संगठन होने चाहिए और जो नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर बना उस में भी इस बात को एडवोकेट किया है कि एग्रीकल्चर में भी इण्डस्ट्रियल टाइप ट्रेड यूनियन्स होनी चाहिए । इस में जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं हो सकता है । इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कृषि श्रमिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए या ट्रेड यूनियन टाइप यूनियन बनाने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने जा रही है ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : श्रीमन्, जो विद्वान सदस्य ने संक्षिप्त इतिहास दिया है, वह अक्षरत: सही है और इस प्रकार की कुछ संस्तुतियां हुई हैं । इसलिए हमारा यह प्रस्ताव है कि जो ट्रेड यूनियन के एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उन में हम संशोधन करें ताकि ग्रामीण मजदूर संगठित हों और उन को अधिक सहूलियत मिल सके तथा संगठित होने के अधिक अवसर मिल सके । इस संबंध में माननीय सदस्यों को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि संसदीय समिति में जो सुझाव दिया गया था, उस को मानते हुए छठी योजना में 75 लाख रु० का प्रावधान किया गया है, ताकि इस प्रकार की जो ट्रेड यूनियनस हैं, श्रमिकों के और कृषि श्रमिकों के, उन के संगठित करने का कार्य प्रोत्साहित किया जा सके ।

SHRI P. K. KODIYAN: On the floor of this House, last july, the former Labour Minister, Shri Anjaiah, had given an assurance for protecting the interests of the farm labourers. He said that the Government would be bringing forward a comprehensive Central Legislation for this purpose. I also understand that the Central Standing Committee for unorganised labour has already discussed this problem and they have also recommended the Draft Bill. I would like to ask the Hon. Minister when this proposed comprehensive legislation is likely to be introduced in the Parliament.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I have just now in my reply to the question put by the hon. Member, Shri B. D. Singh, mentioned that we do propose to bring forward a comprehensive legislation and we stand fully committed to whatever my predecessor had assured on the floor of this House.

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, आज हिन्दुस्तान में कई वर्षों से यह बात हो रही है कि कृषि मजदूरों के लिए कानून लाया जाएगा। जो यहां पर भूतपूर्व मंत्री थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार का कानून लाया जाएगा। अब आप बता दीजिए कि मिनिमम वेजेज एक्ट के नीचे और कम्पैन्सेटरी एक्ट के नीचे कितने लोगों को सजा हुई है ? या यह कानून सिर्फ स्टैचूट बुक तक ही सीमित रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं बनता है।

**AIR Bases built in Pakistan by China**

*122. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:

SHRI RAM SWARUP RAM:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the twelve air bases in Pakistan being built by China which may be used against India;

(b) whether Government are aware of the Chinese build up of special forces in the Northern frontiers of India and also helping the Pakistani forces on the border; and

(c) if so, the steps being considered to counter the military designs of our neighbours?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) It has come to Government's notice that Pakistan is building new airfields and renovating some airfields which have not been in use. Government have information that there is Chinese assistance.

(b) Government have seen such reports in the Press.

(c) Government take into account the existing and likely developments in our security environment and take appropriate action in the interest of our national security. It is not desirable in public interest to disclose further details.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I would like to know whether the Government has lodged any protest with Pakistan and China with regard to these things.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Government has found it necessary to lodge a protest with Pakistan and China in this respect. Government knows that there is collaboration and cooperation between Pakistan and China in military matters and Government does not feel that something will come out by just protesting, but informally we have been expressing that in order to have good relations and in order to have peace maintained in this part of the world and in our country, it is better not to give assistance of that nature.

SHRI P. RAJGOPAL NAIDU: Is the Government taking steps to strengthen our borders against these machinations?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: All that is necessary is being done.

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उस का सीरियस जवाब नहीं दे रहे हैं। चीन एक विस्तारवादी नीति वाला देश रहा है, उस की मदद से पाकिस्तान में सैनिक हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं—मंत्री जी का कहना है कि वे हवाई अड्डे यूज में नहीं रहे हैं या उन का यूज नहीं हो रहा है—ऐसी इन्फार्मेशन है। मैं उन से जानना चाहता हूं—क्या सरकार इन के बारे में डीटेल्ड जानकारी रखती है कि जो सैनिक हवाई अड्डे बन रहे हैं—वे विश्व शान्ति के लिए या भारत के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं ? दूसरा प्रश्न ....